

सं. जैड-28016/153/2021- पीएमएसएसवाई -IV

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(पीएमएसएसवाई प्रभाग)

कमरा नंबर 201 डी,  
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत निम्नलिखित एम्स यथा- एम्स, बठिंडा (पंजाब), एम्स, भुवनेश्वर (ओडिशा), एम्स बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), एम्स दरभंगा (बिहार), एम्स गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), एम्स जोधपुर (राजस्थान), एम्स कल्याणी (पश्चिम बंगाल), एम्स मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश) और एम्स पटना (बिहार) में की स्थापना की है। उप निदेशक (प्रशासन) के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

क्र.सं.	पद का नाम	मूल वेतन (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	प्रत्येक एम्स के लिए पदों की संख्या	एम्स जिसके लिए पद भरा जाना है।
1.	उप निदेशक (प्रशासन)	लेवल -13 (123100-215900 रुपये)	01	<ol style="list-style-type: none"><li>एम्स बठिंडा (पंजाब)</li><li>एम्स भुवनेश्वर (ओडिशा)</li><li>एम्स बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)</li><li>एम्स दरभंगा (बिहार)</li><li>एम्स गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)</li><li>एम्स जोधपुर (राजस्थान)</li><li>एम्स कल्याणी (पश्चिम बंगाल)</li><li>एम्स मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश)</li></ol>

9. एम्स पटना (बिहार)

2. पत्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45वां दिन है।

3. विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रारूप इस मंत्रालय की वेबसाइट [www.mohfw.nic.in](http://www.mohfw.nic.in) और <http://pmssy-mohfw.nic.in> पर उपलब्ध है और वहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। सभी संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रपत्र में विधिवत रूप से भरे गए आवेदन पत्र श्री दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक (पीएमएसएसवाई-IV), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नंबर 201, डी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है लिफाफे पर नए एम्स में उप निदेशक (प्रशासन) के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए है।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए होगा जिसका भारत सरकार के मौजूदा नियमों/नियोगों के अनुसार प्रशासनिक आवश्यकताओं में अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक विस्तार पर विचार किया जा सकता है। 3 वर्ष की प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि से अधिक कोई भी विस्तार समग्र कार्य निष्पादन के अधीन होगा और ऐसे परिवृश्य में तैनाती के स्थान को रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार किसी अन्य एम्स में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर बदला जा सकता है।

5: एम्स का आवंटन: चयनित उम्मीदवारों की तैनाती के अंतिम स्थल का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। ऐसा करते समय, उम्मीदवार द्वारा इंगित तैनाती स्थल संबंधी वरीयता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

6. उच्चतम आयु सीमा: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. अहंता:

पद का नाम	भर्ती नियम
उप निदेशक (प्रशासन)	केंद्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / विश्वविद्यालयों / सांविधिक / स्वायत्त निकायों या अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारी जो: नियमित आधार पर समतुल्य पद धारित करते हों। नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों।

**अथवा**

केंद्र सरकार के उप सचिव या समकक्ष स्तर के अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (78800-209200 रुपये) में (7वें सीपीसी के अनुसार)/(6वेंसीपीसी के अनुसार 7600/- रुपये ग्रेड पे-पूर्व संशोधित) में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।

उक्त सेवा अवधि मानदंड और उच्चतम आयु सीमा के संदर्भ में पात्रता निर्धारित करने की निर्णायिक तिथि पात्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

8. इन पदों पर समान स्थिति के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते होते हैं और एम्स, नई दिल्ली में स्वीकृत अन्य भत्ते देय हैं।

9. निर्धारित अर्हता / पात्रता न्यूनतम अपेक्षा है और यह उम्मीदवार को स्वतः रूप से चयन के लिए पात्र नहीं बनाती है। जीवनवृत्त के आधार पर उम्मीदवारों को अल्पसूची में शामिल किया जाएगा और केवल अल्पसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

10. ऐसे पात्र उम्मीदवारों जिन्हें चयन की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिवसों के भीतर उपरोक्त पते पर अधोहस्तारी को उचित माध्यम के जरिए अग्रेषित किए जा सकते हैं। जिनके साथ (क) पिछले पांच (05) वर्षों की अद्यतन एपीएआर की सत्यापित प्रतियां; (ख) सतर्कता निपटान प्रमाण-पत्र जो स्पष्ट रूप से इंगित करता हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है; (ग) अधिरोपित लघु/प्रमुख शस्ति, यदि कोई हो, को दर्शनी वाला विवरण और (घ) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र संलग्न हो। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने आवेदन में प्रस्तुत विवरण के प्रमाण के रूप में सभी संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उचित माध्यम से प्राप्त नहीं होने वाले आवेदनों पर साक्षात्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

11. इस विज्ञापन में कोई भी संशोधन पीएमएसएसवाई प्रभाग की वेबसाइट अर्थात् pmssy-mohfw.nic.in ही प्रकाशित किया जाएगा।

दिनेश कुमार  
दिनेश कुमार ४४/२०२२  
संयुक्त निदेशक  
दूरभाष: 011-23061730

### आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम:
2. नाम और पता (साफ अक्षरों में):
3. ईमेल और मोबाइल नंबर:
4. जन्म तिथि:
5. सेवानिवृत्ति की तारीख:
6. शैक्षिक अर्हता:
7. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी अर्हता के समकक्षमाना गया है, तो इसके प्राधिकार को बताएं)

अर्हतासेवा, पद के लिए अपेक्षित योग्यता/अनुभव	अर्हतासेवा, अधिकारी द्वारा धारितयोग्यता/अनुभव

8. कृपयास्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा कीगई प्रविष्टियों के आलोकमें आप पद की अनिवार्य अर्हता और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं।
9. कालानुक्रमिक रूप में रोजगार का विवरण/ यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित एक पृथक शीट संलग्न करें

कार्यालय /संस्था	धारित पद	कब से	कब तक	वेतनमान/वेतन लेवल	कार्य- प्रकृति

10. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्ध-स्थायी या स्थायी:
11. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर धारित किया है, तो कृपया ब्यौरा दें:
  - क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
  - ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि
- ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे आवेदक संबंधित है
12. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि किसके तहत कार्यरत है (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम लिखें)
  - क) केंद्र सरकार
  - ख) राज्य सरकार

- ग) स्वायत्त निकाय
- घ) सरकारी उपक्रम
- ड) विश्वविद्यालय
- च) अन्य

13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो वह तिथि दर्शाएं, जिससे संशोधन हुआ और साथ ही पूर्व-संशोधित वेतनमान का भी उल्लेख इंगित करें।

14. अब प्रति माह आहरित कुल परिलक्ष्यियां (सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवन और वेतन संरचना आदि):-

- (क) वर्तमान वेतन लेवल
- (ख) वर्तमान वेतन लेवल कब से आहरित कर रहे हैं
- (ग) कुल परिलक्ष्यियां

15. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आवेदित पद से प्रासंगिक हो तथा पद के लिए आपकी उपयुक्तता में सहायता करें। (यहां अन्य के साथ निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते हैं:

(i) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) कार्य अनुभव

(नोट: यदि स्थान पर्याप्त नहीं है, तो एक अलग शीट संलग्न करें)

16. क्या उम्मीदवार एससी/ एसटी श्रेणी से संबंधित हैं:

17. पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड दिए जाने से संबंधित स्थिति यदि कोई हो

18. वर्तमान पद और पदनाम (किस तिथि से धारित किया है)

19. एम्स के विकल्प (वरीयता क्रम में)

(क)

भटिंडा

(ख) भुवनेश्वर

(ग) बिलासपुर




(घ) दरभंगा

(ड.) गोरखपुर

(च) जोधपुर




(छ) कल्याणी

(ज) मंगलागिरी

(झ) पटना

### घोषणा

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे भलीभांति ज्ञात है कि अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित जीवन-वृत्त में दी गई जानकारी का भीपद हेतु चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना/ मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा इस आवेदन में दी गई सूचना मेरे श्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं तथा कोई भी ऐसा तथ्य छुपाया अथवा दबाया नहीं गया है, जो मेरे चयन पर प्रभाव डाले।

स्थान:

तिथि:

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

नाम.....

### **नियोक्ता/ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन**

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचना / विवरण रिकॉर्ड मेंउपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। वह विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता है। यदि उसका चयन होता है, तो उसे तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

#### **2. यह भी प्रमाणित किया जाता है:**

- i) श्री / श्रीमती \_\_\_\_\_ के खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित / अवेक्षित नहीं है।
- ii) उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित है।
- iii) उसकी मूल सीआर डोजियर संलग्न है / भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी द्वारा यथोचित सत्यापित पिछले 05 वर्षों कीएसीआर की प्रतियां संलग्न हैं।

iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ी/ छोटी शास्ति अध्यारोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर अध्यारोपित बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी मुहर सहित)